कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–89 / 2019 2354 **अम्बिकापुर, दिनांक** 18/10/19

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

विषय :– **Diversion of Forest land for non-forest Purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Amarpur to Chirmiri Road Widening & Upgrading area - 10.469 ha.-regarding.**

पंजीयन क्रमांक–FP/CG/ROAD/8090/2014

संदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र./भू–प्रबंध /विविध / 115–705 / 1970 दिनांक 06.08.2019

2. वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल का पत्र क्र0 / तक.अधी. / 1347 दिनांक 27.09.2019

––00––

विषयांकित वनभमि व्यपवर्तन प्रकरण में आपकी ओर पूर्व प्रेषित व्यपवर्तन प्रस्ताव में आपके संदर्भित पत्र–1 द्वारा वांछित 3 बिन्दुओं पर जानकारी, जो वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल के संदर्भित पत्र–2 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित है, के प्रतिवेदन अनुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :–

आपत्ति क.	आपत्ति का विवरण	आपत्ति का निराकरण
01	वन मण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल का प्रपत्र–3 स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में तैयार नहीं गया है। निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन दें–उदाहरण के लिये 2 पृष्ठीय नमूने की छाया प्रति संलग्न है ।	इस आपत्ति के अनुक्रम में लेख है कि स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र 03 के अनुसार ही किया गया है, जो प्रस्ताव के पेज कमांक 172, 173 एवं 174 संलग्न है । सुलभ संदर्भ हेतु स्थल निरीक्षण की एक प्रति पुनः महोदय के अवनलोकनार्थ संलग्न संप्रेषित है ।
02	मार्ग की कुल लम्बाई 16 कि.मी. है (प्रस्ताव के पृ.क.–24) या 12.40 कि.मी. (प्रस्ताव के पृ.क.– 27) – स्पष्ट करें ।	प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 24 में Detailed Estimated For Widening of Amarpur to Chirmiri Road मार्ग की कुल लम्बाई 16.00 कि.मी. लेख की गई है, जो वास्तविक रूप से 12.40 कि. मी. है । इस संबंध में आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण संभाग अम्बिकापुर के पत्र कमांक 2759 दिनांक 24.09. 2019 के द्वारा दी गई जानकारी अनुसार उक्त भिन्नता के परिपेक्ष्य में प्रतिवेदन किया गया है कि अमरपुर से चिरमिरी मार्ग की वास्तविक लम्बाई 16.00 कि.मी. होने के कारण पूर्व में पूरी लम्बाई का उल्लेख किया गया था, जिसमें से चैनेज 12227 (कि. मी. 13 / 4) से चैनेज 16000 (16 / 10) तक का मार्ग राजस्व भूमि में आता है । जिसका उन्नयन कार्य पूर्व के ही एस.ई.सी.एल. द्वारा किये जाने का उल्लेख किया गया है । सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है ।
03	वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए चयनित समतुल्य राजस्व भूमि 10.469 हे. ग्राम ढोढीबहरा का वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण – पत्र उप वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैकुण्ठपुर द्वारा जारी किया गया है जो मान्य नहीं है। वन मण्डलाधिकारी कोरिया का स्थल निरीक्षण के आधार पर जारी किया गया प्रमाण–पत्र प्रेषित करें ।	इस आपत्ति के अनुक्रम में प्रतिवेदन है कि निरीक्षण प्रतिवेदन उप वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैकुण्ठपुर के अतिरिक्त वन मण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर द्वारा भी पृथक से किया गया है जो प्रस्ताव के चेक लिस्ट कमांक 17 पेज कमांक 163 संलग्न है । सुलभ संदर्भ हेतु स्थल निरीक्षण की छायाप्रति पुनः महोदय के अवलोकनार्थ संलग्न संप्रेषित है ।

वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल के संदर्भित पत्र–2 मय सहपत्र की प्रति संलग्न कर उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :– संदर्भित पत्र–2 मय सहपत्र।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ0क्र0 / मा.चि. / न0क्र0– 89 / 2019 2355 **अम्बिकापुर, दिनांक** 18/10/19
प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्य पालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग कोरिया, मनेन्द्रगढ़, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

d:\dm section\memo diversion\amarpur to chirmiri.doc